

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

स.स.प.

18

क्रमांक 456/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी वंदोवस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	बजरंगोडीह	178.999	उत्तर-बागरेकसा दक्षिण-आलेदण्ड पूर्व-मोहनपुर पश्चिम-कनेरी	23	भगवानटोला	डोंगरगढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 456/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bajrangidih	178.999	North-Bagrekasa South-Aaledand East-Mohanpur West-Kaneri	23	Bhagwantola	Dongargarh	Rajnandgaon

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 458/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है..

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी वंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	घाघरा	75.241	उत्तर-मुरुम दक्षिण-कटेमा पूर्व-गातापार पश्चिम-सीतापाल	01	गातापार जंगल	खैरागढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 458/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ghaghra	75.241	North-Murum South-Katema East-Gatapar West-Sitapal	01	Gatapar Jangal	Khairagarh	Rajnandgaon

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

(क्रमांक 457/RC/RJN/2013-14.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदान शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कारुटोला	194.375	उत्तर-भगतपुर दक्षिण-बंजारी पूर्व-खरखरा जलाशय पश्चिम-मासूलकसा	42	मासूलकसा	छुरिया	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 457/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Karutola	194.375	North-Bhagatpur South-Banjari East-Kharkhara Dam West-Masulkasa	42	Masulkasa	Chhuria	Rajnandgaon

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गज. 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

वनग्राम परिवर्तन
शुद्धिसूचना
(राजनांदगांव जिला)

क्रमांक 38]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी 2014—माघ 2, शक 1935

1

कार्यालय कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/460/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जा रहा है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कटेमा	153.896	उत्तर—घाघरा दक्षिण—बोरतलाब पूर्व—मउहाद्वार पश्चिम—मौरकुडो	01	लछना	खैरागढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

NOTIFICATION

No. 460/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Katema	153.896	North—Ghaghra South—Bortalao East—Mauhadbar West—Maurkudo	01	Lachhna	Khairagarh	Rajnandgaon

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक 459/प्रवा.कले.राज./2013-14.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति, राजनांदगांव के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

सू. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.A	मलईदाह	99.870	उत्तर-भावे दक्षिण-लिमउटोला पूर्व-करेलागढ़ पश्चिम-जुरलाखार	01	गातापार जंगल	खैरागढ़	राजनांदगांव

Rajnandgaon, the 9th January 2014

No. 459/RC/RJN/2013-14.—Whereas, the forest villages shown in schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee, Rajnandgaon under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013, dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare the forest village shown in Column (2) of Schedule below shall be Revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Malaidah	99.877	North-Bhawe South-Limautola East-Karelagarh West-Jurlakhar	01	Gatapar Jangal	Khairagarh	Rajnandgaon

अशोक कुमार अग्रवाल
कलेक्टर.